

**अनुमति की शर्तें ।**

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

**फकत खंडकी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ**

**कार्यालय नगर निगम, जोधपुर**

आवेदन क्रमांक 62 दिनांक 06/05/2019

प्राधी अहमद मोहम्मद 3/0 श्री रअजान मोहम्मद

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 19A के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 8000/- जमा है।

जरिये रसीद संख्या 1005/1447 1448

दिनांक 06/05/19 को जमा करा दी है।

P.No. 123 सी एल आई जी ए

एकीकृत नम्बर 1 कम्प्लै नैट

*(Signature)*  
प्रारूपकार

नगर निगम, जोधपुर

34.4475822

जी+1

आवासीय